अतिमहत्वपूर्ण / समयवद्ध / विशेष ध्यान अपेक्षित

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–मऊ

पत्रांक– / एस0एस0ए0 / स्कूल बैग / 2018–19 दिनांक– 26.4.18

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जनपद मऊ।

विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1119 / 79–5–2017–2425 / 2015 शिक्षा अनुभाग–5 दिनांक 11 जुलाई 2017 एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–शि0नि0बे0 / नियोजन / 80018–80286 / 2017–18 दिनांक 20.03.2018 द्वारा शैक्षिक सत्र 2018–19 में परिषदीय विद्यालयो के कक्षा–1 एवं कक्षा–6 तथा नये प्रवेश प्राप्त छात्रों के साथ ही सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों (कक्षा–1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय)को स्कूल बैग दिये जाने के निर्देश दिये गये है।

स्कूल बैग के क्रय हेतु राज्य स्तर पर ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तीनो साईज(स्माल, मीडियम, लार्ज) के स्कूल बैग की दरें एवं सफल निविदादाताओ का शासनादेश संख्या: 353 / 79–5–2017–2425 / 15 दिनांक 12 मार्च 2018(प्रति संलग्न) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस अनुक्रम में स्कूल बैग क्रय किये जाने हेतु रू0 124.10 (रू0 एक सौ चौबीस, दस पैसे मात्र) प्रति स्कूल बैग की दर से **मैं0 एक्स ओ फूटवियर प्रा0लि0 ए–122 मंगलपुरी इण्डस्ट्रियल एरिया फेस–11, नई दिल्ली–110034** को जनपद मऊ में स्कूल बैग की आपूर्ति करनें हेतु क्रयादेश अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत किया गया है।

स्कूल बैग की प्राप्ति एवं सत्यापन के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु–2 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

2.1 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विकासखण्ड / नगर क्षेत्र स्तर पर स्कूल बैंग की आपूर्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 27.04.2018 है।

2.2 विकासखण्ड / नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति प्राप्त किये जाने एवं विद्यालयों में वितरण हेतु सम्बन्धित खण्ड / नगर शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जनपद स्तर पर आपूर्ति / भुगतान संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे।

2.3 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड / नगर क्षेत्र हेतु स्कूल बैंग की पैकिग पृथक–पृथक की जायेगी, तथा आवंटित समस्त स्कूल बैग की संख्या की आपूर्ति कन्साइनमेन्ट में की जायेगी।

2.4 आपूर्ति के समय संबंधित खण्ड / नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा चिन्हित नियत गोदाम / स्थान पर अनलोडिंग एवं स्टैकिंग करायी जायेगी तथा आपूर्तित स्कूल बैग की संख्या का सत्यापन किया जायेगा।

2.5 आपूर्ति के समय स्कूल बैग की अनलोडिंग एवं स्टैकिंग अर्थात वाहन से उतारनें एवं नियत गोदाम / स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखे जाने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी तथा इस पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा। परिवहन के समय हुई क्षतिग्रस्त की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। ऐसी स्थिति में समस्त क्षतिग्रस्त स्कूल बैग तत्काल ही आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिये जायेंगे, जिनके सापेक्ष उनकी ही संख्या में स्कूल बैग पुनः आपूर्तिकर्ता द्वारा विलम्बतम दो सप्ताह में डिलीवरी प्वाइण्ट पर उपलब्ध कराने होंगे।

2.6 आपूर्तिकर्ता द्वारा निदेशक बेसिक शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये स्कूल बैग के नमूने से आपूर्तित स्कूल बैग के डिजाइन एवं आकार का प्रथम दृश्टया मिलान सम्बन्धित

खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाए। डिलीवरी प्वाइण्ट पर आपूर्तित स्कूल बैग में से जिलाधिकारी द्वारा गठित कमेटी द्वारा रेण्डम आधार पर प्रत्येक डिलीवरी प्वाईट पर तीनो साइज के स्कूल बैग के दो सेट सैम्पल के रूप में सील कर सुविधाजनक रूप से प्रयोगशाला जॉच हेतु जनपद स्तर पर जॉच हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कस्टडी में सुरक्षित रखे जायेगे एवं एक सेट शील कर डिलीवरी प्वाईट पर खण्ड शिक्षा अधिकारी की कस्टडी में रखा जायेगा।

2.7. वर्ष 2018–19 में आपूर्तित बैगों पर सर्व शिक्षा अभियान का लोगों (LOGO) लगाया जायेगा।

2.8 नोडल अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता को स्कूल बैग की प्राप्त रसीद निर्धारित प्रारूप पर दो प्रतियों में उपलब्ध करानी होगी तथा उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी (प्रारूप संलग्न है)।

2.9 विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त स्कूल बैग की स्टॉक एन्ट्री अलग–अलग की जानी होगी, जिसमें विद्यालयवार आवंटन/प्राप्ति का सम्पूर्ण ब्यौरा भी अंकित किया जाना होगा। उक्त एन्ट्री को संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाना होगा।

<u>स्कूल बैग की टैस्टिंग के सम्बन्ध मेंशासनादेश के बिन्दु–3 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है:–</u>

3.1 जनपद के जिलाधिकारी द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा विकासखण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्तित स्कूल बैग में से प्रयोगशाला जॉच हेतु रैण्डम आधार पर तीनो साईज के तीन–तीन सैम्पल एकत्रित कर सैम्पल को सील किया जायेगा। सील्ड सैम्पल को जिले स्तर पर एक कोड आवंटित किया जायेगा,जिसका निर्धारण जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा, ताकि सैम्पल की गोपनीयता बनी रहे। सील्ड/कोडेड सैम्पल को प्रयोगशाला में जॉच कराये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

3.2 जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा डिलीवरी प्वाइण्ट पर स्कूल बैग की आपूर्ति के 03 दिवस के भीतर रेण्डम आधार पर स्कूल बैग के तीन सेट सैम्पल टैस्टिंग हेतु एकत्रित किये जायेंगे, जिनमें से 02 सेट सील कर शासन द्वारा नामित राजकीय प्रयोग शाला (एफ0डी0डी0आई0 नोयडा)से जॉच कराये जाने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा तथा 01 सेट जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा।

3.3 जनपदों द्वारा समस्त सैम्पल की प्रयोगशाला में जॉच करायी जायेगी तथा जॉच रिर्पोट के आधार पर जनपद द्वारा आपूर्तिकर्ता के बिल का भुगतान किया जायेगा।

3.4 सैम्पल टैस्टिंग में आने वाले व्यय का वहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जायेगा, जिसका समायोजन भुगतान हेतु प्रस्तुत अन्तिम बिल से किया जाना होगा।

3.5 सैम्पल टैस्टिंग हेतु भेजे गये स्कूल बैग तथा सैम्पल टैस्टिंग के उपरान्त प्राप्त स्कूल बैग का विवरण भी विकास खण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर व्यवस्थित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना होगा।

3.6 यदि सैंपल टेस्टिग की रिपोर्ट संतोशजनक प्राप्त नही होती है तो आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में दी गयी सूचना के 15 दिवस के अन्दर सम्बन्धित विकास खण्ड/नगरक्षेत्र में आपूर्तित समस्त स्कूल बैग को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से प्राप्त कर उसके सापेक्ष उतनी ही संख्या के स्कूल बैग विद्यालय स्तर पर प्राप्त कराये जाने होगें। इस संबंध में समस्त जिम्मेदारी एवं व्यय आपूर्तिकर्ता के द्वारा किया जायेगा।

<u>स्कूल बैग के वितरण के सम्बन्ध मेंशासनादेश के बिन्दु–4 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है:–</u>

4.1 सैम्पल टैस्टिंग हेतु सैम्पल एकत्रित करने के उपरान्त समस्त स्कूल बैग का छात्र/छात्राओं के मध्य विद्यालयवार वितरण कराये जाने की व्यवस्था खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जायेगी।

4.2 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयवार वितरित स्कूल बैग की संख्या व प्राप्ति का विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

4.3 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में उपर्युक्त समस्त कार्यवाही अपने पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सम्पन्न करायेगे तथा इस हेतु वे उत्तरदायी होगें।

स्कूल बैग के भुगतान के सम्बन्ध मेंशासनादेश के बिन्दु–5 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है

5.1 आपूर्तिकर्ता द्वारा विकास खण्ड/नगर क्षेत्र स्तर पर आपूर्ति के पश्चात विकास खण्ड/नगर क्षेत्र में आपूर्तित स्कूल बैग का बिल सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलबध कराया जायेगा। बिल से साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा द्वारा सम्बन्धित खण्ड /नगर शिक्षा अधिकारी से प्राप्त रसीद की एक प्रति मूल रूप में संलग्न की जायेगी।

5.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ अपने फर्म/कम्पनी के बैंक का नाम, खाते का विवरण जिसमे भुगतान की धनराशि हस्तानान्तरित की जानी होगी उपलब्ध कराया जायेगा। यथा–खाताधारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम एवं बैक आई0एफ0एस0सी0 कोड आदि।

5.3 आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त होने तथा सैम्पल टेस्टिंग संतोषतनक प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता के बिल का परीक्षण करा कर नियमानुसार कटौती के उपरान्त भुगतान आपूर्तिकर्ता के खाते में सीधे किया जायेगा।

5.4 आपूर्तिकर्ता को बिल के भुगतान किये जाने के समय सैम्पल टेस्टिंग शुल्क का समायोजन किया जाना होगा तथा इसका विवरण संचित किया जायेगा।

5.5 भुगतान हेतु प्रस्तुत बिल के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जाना होगा कि उनके द्वारा निष्पादित अनुबन्ध की समस्त शर्ते एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन किया गया है।

कटौती के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु–6 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

6.1 आपूर्तिकताओं द्वारा विकास खण्ड/नगर क्षेत्र पर स्कूल बैग की आपूर्ति की अन्तिम तिथि दिनांक 27.04.2018 है। इस तिथि के उपरान्त विलत्ब की स्थिति में कटौती का प्रावधान शासनादेश में किया गया है। (संलग्न)

विद्यायल स्तर पर रख–रखाव के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु–7 में निम्न दिशा–निर्देश दिये गये है :–

7.1 विद्यालय स्तर पर प्र0अ0 द्वारा प्राप्त तीनों साईज के अलग–अलग स्कूल बैग की स्टाक रजिस्टर में स्टाक इन्ट्री की जानी होगी।

7.2 विद्यालय में स्कूल बैग प्राप्त होते ही एस0एम0सी0 के सदस्यो एवं अभिभावको की उपस्थिति में छात्र/छात्राओं को स्कूल बैग का वितरण किया जायेगा तथा वितरण रजिस्टर में छात्र/छात्राओं अथवा अभिभावक के हस्ताक्षर प्राप्त के रूप में किया जायेगा।

7.3 खण्ड/नगर शिक्षा अधिकारी द्वारा स्टाक रजिस्टर पर दर्ज इन्ट्री को प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

7.4 निरीक्षणकर्ताओं द्वारा स्कूल बैग की प्राप्ति एवं छात्र/छात्राओं को वितरण के संबंध में अपने निरीक्षण आख्या में अंकित किया जायेगा।

7.5 आपूर्तित स्कूल बैग की वारण्टी आपूर्ति तिथि से एक वर्ष निर्धारित की गयी है। यदि वारण्टी अवधि के अन्तर्गत स्कूल बैग में मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट उत्पन्न होता है तो

④ 10 सूचना विज्ञान

आपूर्तिकर्ता को इस संबंध में दी गयी सूचना के 30 दिवस के अन्दर डिफेक्टेड स्कूल बैग को आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यालय स्तर से उठाया जाना होगा तथा उसके सापेक्ष उतनी संख्या में स्कूल बैग विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना होगा।

अतः आप समस्त को सुलभ संदर्भ हेतु शासनादेश की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि शासनादेशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। लापरवाही की दशा में आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

संलग्नकः—उक्तवत्।

(ओ0पी0 त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ।

पृ0सं0:— 301-10 /2018—19 तददिनांक

प्रतिलिपिः—

1. जिलाधिकारी महोदय, मऊ।
2. शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) आजमगढ़।
4. मुख्य विकास अधिकारी मऊ।
5. जिला विद्यायल निरीक्षक मऊ।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मऊ।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा मऊ।
8. जिला सूचना अधिकारी मऊ को इस अनुरोध के साथ कि जनहित/छात्रहित/योजना के व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु सम्मानित समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मऊ को इस अनुरोध के साथ कि जनहित/छात्रहित/योजना के व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु एन0आई0सी0 के वेवसाइट पर लोड करने का कष्ट करें।

26/04/18

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मऊ

26/4/2018
D.C.